

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2836
(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के तहत सड़क से जुड़ी ग्रामीण बस्तियां

2836. श्री नारायण तातू राणे:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले दस वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़क नेटवर्क से जुड़ी ग्रामीण बस्तियों का राज्य-वार, विशेष रूप से महाराष्ट्र के संदर्भ में इसके प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;
- (ख) महाराष्ट्र के रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण सड़क संपर्क वाली ग्रामीण बस्तियों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त योजना के अंतर्गत मौजूदा सड़कों के उन्नयन के लिए प्रदान की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या उक्त उद्देश्य के लिए निधि आवंटन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को वर्ष 2000 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य जनगणना 2001 के अनुसार निर्धारित जनसंख्या आकार वाली सड़कों से न जुड़ी पात्र बसावटों को एकबारगी विशेष पहल के रूप में बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण संपर्क प्रदान करना है। पिछले दस वर्षों के दौरान लक्षित बसावटों को तेजी से सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। निर्धारित लक्ष्य का लगभग 69% प्राप्त करते हुए देश भर में कुल 72,944 बसावटों के लक्ष्य की तुलना में महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 50,463 बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान किया गया है। पिछले दस वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्यवार ब्यौरा अनुबंध- I में दिया गया है।

(ख): रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में दो जिले रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग शामिल हैं। पीएमजीएसवाई के तहत, रत्नागिरी जिले में सभी स्वीकृत 50 पात्र बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ते हुए 100% सड़क संपर्क का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

इसी प्रकार, सिंधुदुर्ग जिले में, सभी 29 पात्र बसावटों को इस कार्यक्रम के तहत सफलतापूर्वक सड़क संपर्क प्रदान किया गया है, जिससे इस निर्वाचन क्षेत्र में पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत सभी पात्र बसावटों को पूर्ण रूप से शामिल करना सुनिश्चित हुआ है।

(ग) और (घ): मंत्रालय द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य को जिलेवार नहीं बल्कि समग्र रूप से निधियां जारी की जाती हैं। ये निधियां शेष कार्य, कार्य निष्पादन क्षमता और कार्य निष्पादन तथा जारी की गई पिछली राशि में से उनके पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि के आधार पर जारी की जाती हैं। अब तक, मंत्रालय द्वारा ये निधियां राज्य सरकार की समेकित निधि में जारी की जाती थीं। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा जिला और उप-जिलावार निधियां जारी की गई थी। वर्ष 2025 के मध्य से, निधि जारी करने का कार्य एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। पिछले दस वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियां जारी करने का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2836 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

पीएमजीवाई के तहत पिछले दस वर्षों में राज्य-वार लक्षित बसावटों की संख्या और उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्षित बसावटें	सड़कों से जुड़ी बसावटें	सड़क संपर्कता का %
1	अंडमान और निकोबार	16	7	44%
2	आंध्र प्रदेश	659	459	70%
3	अरुणाचल प्रदेश	584	252	43%
4	असम	7969	5057	63%
5	बिहार	18083	14287	79%
6	छत्तीसगढ़	5025	2580	51%
7	गोवा	0	0	0%
8	गुजरात	106	66	62%
9	हरियाणा	0	0	0%
10	हिमाचल प्रदेश	1037	608	59%
11	जम्मू और कश्मीर	2078	1084	52%
12	झारखंड	7128	5502	77%
13	कर्नाटक	0	7	100%
14	केरल	51	43	84%
15	मध्य प्रदेश	8016	4765	59%
16	महाराष्ट्र	470	250	53%
17	मणिपुर	486	249	51%
18	मेघालय	1009	369	37%
19	मिजोरम	201	79	39%
20	नागालैंड	64	14	22%
21	ओडिशा	9439	6979	74%
22	पुदुचेरी	0	0	0%
23	पंजाब	0	0	0%
24	राजस्थान	2999	2706	90%
25	सिक्किम	204	134	66%
26	तमिलनाडु	39	9	23%
27	त्रिपुरा	478	225	47%
28	उत्तर प्रदेश	562	290	52%
29	उत्तराखंड	1838	1164	63%

30	पश्चिम बंगाल	3982	3064	77%
31	तेलंगाना	419	191	46%
32	लद्दाख	2	23	100%
कुल		72944	50463	69%

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा इस कार्यक्रम की वेबसाइट <https://pmgsy.dord.gov.in/>->

Progress Monitoring -> Habitation Coverage under PMGSY से प्राप्त किया जा सकता

है।

लोक सभा में दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2836 के उत्तर के भाग (ग) और (घ) में उल्लिखित अनुबंध।

पीएमजीएसवाई के तहत पिछले दस वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों को जारी की गई कुल केंद्रीय निधियां

(रुपए
करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	जारी की गई केंद्रीय निधि
1	अंडमान और निकोबार	38.71
2	आंध्र प्रदेश	2,978.20
3	अरुणाचल प्रदेश	8,049.01
4	असम	11,752.98
5	बिहार	12,134.33
6	छत्तीसगढ़	7,176.88
7	गोवा	-
8	गुजरात	1,614.98
9	हरियाणा	1,000.81
10	हिमाचल प्रदेश	6,917.03
11	जम्मू और कश्मीर	10,194.97
12	झारखंड	6,379.86
13	कर्नाटक	2,720.10
14	केरल	1,116.03
15	मध्य प्रदेश	12,360.86
16	महाराष्ट्र	4,615.57
17	मणिपुर	3,587.78
18	मेघालय	2,789.65
19	मिजोरम	1,919.24
20	नागालैंड	843.72
21	ओडिशा	13,450.56
22	गुजरात	61.65
23	पंजाब	1,797.99
24	राजस्थान	4,961.97
25	सिक्किम	1,545.93
26	तमिलनाडु	4,787.42

27	त्रिपुरा	1,699.97
28	उत्तर प्रदेश	1,992.56
29	उत्तराखंड	12,032.04
30	पश्चिम बंगाल	8,447.92
31	तेलंगाना	7,061.52
32	लद्दाख	519.98
कुल		1,56,550.21